आर.सी.एम.एस. नम्बर 2018/00134

(आदेश 20 के नियम 6 व 7 जाब्दा दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुकाम बईजलास मलसीसर जिला झुंझुनूं (राज0)

पीठासीन अधिकारीः— पंकज शर्मा
(आर.ए.एस.)

दावा बाबत घोषणार्थ, रिकार्ड दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा

अंन्तिम डिकी मुकदमा इब्तदाई

मुकदमा नम्बर :— 88/2018 (निरंजनलाल बनाम मणी देवी वगैरह)

निर्णय दिनांक :— 23.10.2024

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू, चन्द्र प्रकाश वर्मा (आर.ए.एस.), उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर बहाजिरी वकील वादीगण मिनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व अन्तिम डिकी दी जाती है कि

मुकदमा में न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 23.10.2024 द्वारा पारित निर्णयानुसार ग्राम पाण्डासी पटवार हल्का कंकड़ेऊ कलां की सरहद में स्थित भूमि हाल ख0न0 366 रकबा 2.05 है0 भूमि में भजू वल्द राघू का नाम हजफ कर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 को 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 8 लगायत 14 को 1/3 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 15 लगायत 18 को 1/3 हिस्से का पैतृक कब्जा काश्त के आधार पर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना—अपना वहन करेंगें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

बसक्षत मेरे दस्तखत व मुहर आदलत से आज तारीख 23.10.2024 को जारी की गई।

(न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मलसीसर — मुहर)

पं.श.

(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी,
मलसीसर